भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

(आदेश फलक)

नामान्तरण अपील वाद संख्या–18 / 2018–19

केश का प्रकार :– नामान्तरण अपील

सेफाली महतो, पति–श्री विमाल कुमार महतो.................................अपीलकर्त्ता

–बनाम–

राज्य सरकार झारखण्ड (अंचल अधिकारी, घाटशिला)...........................विपक्षी

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	यह नामान्तरण अपील वाद अपीलकर्त्ता सेफाली महतो, पति–श्री विमाल कुमार महतो, निवासी ग्राम–बसाडीहा, थाना–चाकुलिया, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ने राज्य सरकार, झारखण्ड (अंचल अधिकारी, घाटशिला) को पक्षकर बनाकर अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा ऑनलाईन नामान्तरण मुकदमा संख्या–200 R27 / 2018–19, दिनांक–24 / 05 / 2018 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया हैं। अपील आवेदन पत्र के साथ Condonnation petition U/S-5 of Limititation Act., सत्यापित बिक्री केवाला की छायाप्रति तथा अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न किया गया है। उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, घाटशिला से नामान्तरण संख्या–200R27 / 2018–19 घाटशिला की मांग की गयी। निम्न न्यायालय का नामान्तरण मुकदमा संख्या–200 R27 / 2018–19 घाटशिला प्राप्त हैं। अपीलकर्त्ता द्वारा Limitation Act की धारा–5 के तहत दायर आवेदन पत्र पर सुनवाई के पश्चात इस वाद की प्रविष्टि की स्वीकृति प्रदान करते हुए उभय पक्ष को सूचना जारी किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में अभिलेखबद्ध किया गया हैं। अपीलकर्त्ता ने अपने अपील आवेदन द्वारा उल्लेखित किया गया हैं कि सेफाली महतो, पति–श्री विमाल कुमार महतो, द्वारा मौजा–घाटशिला, थाना नं0–107, खाता नं0–153, प्लॉट नं0–287, रकवा–3.03 ए0, खाता नं0–284, प्लॉट नं0–293, रकवा–0.02 ए0, कुल रकवा–5.03 एकड़ भूमि का नामान्तरण हेतु आवेदन समर्पित किया गया था। यह वाद प्रथम पक्षकार सेफाली महतो, पति–श्री विमाल कुमार महतो द्वारा बिकी केवाला संख्या–19, दिनांक–05.01.2018 द्वारा श्रीमति गायत्री देवी, पति–श्री निर्मल चन्द्र दे को भूमि के मूल्य 5,76,000 रू0 पर	

बेची गयी है। इसमें राशि के संबंधित लेन–देन उभय पक्ष की सहमति संबंधी बिकी केवाला के पृष्ठ सं0–03 पर वर्णित है। उक्त भूमि के पंजी–2 के अवलोकन से प्रतित होता है कि अंचल अधिकारी, घाटशिला के आदेश नामांतरण वाद सं0–846/2011–12 द्वारा खाता 284, प्लॉट 293, रकवा 1.5 डी0 की जमाबंदी कायम है। Continous Khatiyan के पंजी–2 के अवलोकन से भी स्पष्ट है। उक्त भूमि के खतियान के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खाता सं0–284, प्लॉट 293 का कुल खतियान का रकवा 9.00 डी0 है। खाता 284, प्लॉट 293, रकवा 1.5 डी0 भूमि श्रीमति गायत्री दे, पति विमाल कुमार दे द्वारा बिक्रय केवाला के माध्यम से बिक्री की गयी है। पंजी–2 में इनका नाम दर्ज है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजात तथा विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात न्यायालय का अभिमत है कि प्रासंगिक नामान्तरण मुकदमा संख्या–200 R27/2018–19 अंचल अधिकारी, घाटशिला का पारित आदेश सही हैं। अपीलकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। तदनुसार मुल अभिलेख अंचल अधिकारी, घाटशिला को वापस भेजें।

विधि व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यों में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक–20/08/2020 को पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

20/08/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

20/08/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।